न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जी.सी.एम.नम्बर 2021/95

1. सीताराम शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण शर्मा, उम्र– 77 वर्ष, जाति– ब्राह्मण, निवासी– अजय सर्किल, झोटवाड़ा, जयपुर (राज.)।

–अपीलान्ट/प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–अभिलेख), जयपुर।
3. भारत सरकार जरिये रक्षा संपदा अधिकारी राजस्थान क्षेत्र, जयपुर।

–रेस्पोंडेंटस/अप्रार्थीगण

4. मोहन लाल पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण, जाति– ब्राह्मण, निवासी अजय सर्किल, झोटवाड़ा, जयपुर (राज) – 302012. (मृतक) ।

4/1 भुवनेश पुत्र स्व. श्री मोहन लाल, जाति– ब्राह्मण, निवासी अजय सर्किल, झोटवाड़ा, जयपुर (राज)।

4/2 श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व. श्री मोहन लाल, जाति– ब्राह्मण, निवासी अजय सर्किल, झोटवाड़ा, जयपुर (राज.) ।

4/3 श्रीमती मंजू पुत्री स्व श्री मोहन लाल, जाति– ब्राह्मण, निवासी अजय सर्किल, झोटवाड़ा, जयपुर (राज.) ।

–परफोर्मा रेस्पोंडेंटस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनाँक 10/03/2021, न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जयपुर, मुकदमा संख्या 70/2003, उनवानी मोहनलाल बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्व ।

उपस्थित–

1. श्री महेश कुमार शर्मा, सीताराम शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री एम.पी. शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1, 4/2, 4/3
3. श्री हीरालाल सैनी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जयपुर के निर्णय दिनांक 10.03.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 10.03.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जयपुर दिनांक 10.03.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किअपीलार्थी सीताराम शर्मा नेअधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इंद्राज दुरूस्ती खसरा नंबर 1112 ग्राम झोटवाड़ा तहसील व जिला जयपुर के संबंध में पेश किया था। प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी का कदीमी एक निजी मंदिर श्री रामगोपालजी/गोपाल जी व आवासीय मकान व दुकानें खसरा नंबर 1112 ग्राम झोटवाड़ा तहसील व जिला जयपुर में 7305 वर्गफीट में कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा में होना वाके बताया था व न्यायालय से निवेदन किया था कि खसरा नंबर 1112, रकवा 14 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम झोटवाड़ा तहसील व जिला जयपुर भुमि में से अपीलार्थी के मन्दिर, आवास व दुकानों की भुमि 7305 वर्गफीट भूमि का इन्द्राज मंदिर श्री रामगोपालजी/गोपाल जी मोहनलाल व अपीलार्थी के नाम कर खसरा नंबर 1112 में से खसरा नं. 1112/1 पृथक दर्ज कर पृथक से इंद्राज करने की प्रार्थना की थी। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप– 3) विभाग, सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प09 (13) राज/3/05 दिनांक 22/05/2006 के आदेश से दिनांक 21/06/2006 को तहसीलदार जयपुर नें नामांतरण संख्या 955 दिनांक 22/06/2006 को 14 बीघा 3 बिस्वा सेनापति हाउस के नाम दर्ज की व शेष 6 बिस्वा मंदिर परिसर के मंदिर, दुकानें, आवास अपीलार्थी के निवास का नया खसरा नंबर 1112/1284, 6 बिस्वा भूमि जो करीब 929 वर्गगज है, पृथक कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र की बहस सुनकर आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के साथ ही मूल प्रार्थना पत्र इंद्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का भी निर्णय कर खारिज फरमाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल व राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा प्रतिपादित विनिश्चयों व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की मंशा के विपरीत जाकर निर्णय अधीन अपील पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (प्रथम) जयपुर निर्णय दिनांक 10.03.2021 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी सीताराम शर्मा ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 1112, रकवा 14 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम झोटवाड़ा तहसील व जिला जयपुर भुमि में से अपीलार्थी के मन्दिर, आवास व दुकानों की भुमि 7305 वर्गफीट भूमि का इन्द्राज मंदिर श्री रामगोपालजी/गोपाल जी मोहनलाल व अपीलार्थी के नाम कर खसरा नंबर 1112 में से खसरा नं. 1112/1 पृथक दर्ज कर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पृथक से इंद्राज करने की प्रार्थना की थी। जो कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता है। अपीलांट द्वारा ग्राम झोटवाड़ा के खसरा नम्बर 1112/1284 चाहे गये अनुतोष के संबंध में माननीय न्यायालय अपर जिला व सेशन न्यायाधीश क.सं. 7 के निर्णय दिनांक 31.10.18 द्वारा अनुतोष दिया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संदर्भित भूमि के संबंध में अधिकारिता माननीय सिविल न्यायालय को है।जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच एवं रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र खारिज करने के अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि अपीलार्थी सीताराम शर्मा ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 1112, रकवा 14 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम झोटवाड़ा तहसील व जिला जयपुर भुमि में से अपीलार्थी के मन्दिर, आवास व दुकानों की भुमि 7305 वर्गफीट भूमि का इन्द्राज मंदिर श्री रामगोपालजी/गोपाल जी मोहनलाल व अपीलार्थी के नाम कर खसरा नंबर 1112 में से खसरा नं. 1112/1 पृथक दर्ज कर पृथक से इंद्राज करने की प्रार्थना की थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष का गहनता से अवलोकन करचाहे गये अनुतोष के संबंध में माननीय न्यायालय अपर जिला व सेशन न्यायाधीश क.सं. 7 के निर्णय दिनांक 31.10.18 द्वारा पूर्व में ही अनुतोष दिये जाने से विधिवत् ही प्रार्थना खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (प्रथम) जयपुर का निर्णय दिनांक 10.03.2021 यथावत् रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर